प्रेस नोट *25/12/2024*

कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर फर्जी पॉसपोर्ट बनवाने वाले तीन शातिर जालसाज गिरफ्तार, कब्जे से 09 अदद फर्जी पॉसपोर्ट प्रपत्र बरामद–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान क्रम में व अपर पुलिस अधीक्षक श्री महेश सिंह अत्रि के पर्वेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी घोसी श्री दिनेश दत्त मिश्रा के कुशल नेतृत्व में थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा दिनांक 24.12.2024 को सायंकाल तीन ब्यक्ति थाना कार्यालय के अन्दर से तीनों फर्जी रूप से गलत दस्तावेज दिखाकर पासपोर्ट बनवाने आये को तत्काल प्रभारी निरीक्षक मय हमराहियों के थाना कार्यालय के अन्दर पहुंचकर देखा पॉसपोर्ट एप्लीकेशन में संलग्न आधार कार्ड नम्बर जब आधार ऐप पर डालकर देखा गया तो नाम गलत दिखा। इस जानकारी पर तीनों का नाम पता पूछते हुए कडाई से पूछताछ करने पर तीनो गलती की माफी मांगते हुए बताये कि साहब हम लोग पैसा लेकर फर्जी पॉसपोर्ट ऐसे लोगों का बनवाते है। जिसमें लखनऊ स्थित मुख्य पासपोर्ट कार्यालय में अपने शोएब नाम के व्यक्ति के पास भेजा जाता है जो वहाँ हमारे द्वारा भेजे गये कूटरचित दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड, पैनकार्ड, निर्वाचन कार्ड, बैंक पासबुक, की टेम्परिंग कराकर आनलाईन पासपोर्ट अप्लीकेशन के साथ वहाँ के अधिकारियों से मिलकर अपलोड करा देता है और इसके बाद बचे पैसे हम आपस में बांट लेते है अभी तक बनवाये गये पासपोर्ट के सम्बन्ध में पूछने पर उसने उनका नाम क्रमशः सूर्यभान यादव ,रमेश कुमार ,गोविन्द कुमार ,जय कुमार ,जितेन्द्र कुमार ,झिनक साहनी ,राज यादव ,अरविन्द कुमार बताया। चूंकि पकड़े गये तीनों अभियुक्तों श्यामबहादुर यादव S/O सुरेन्द्र यादव निवासी मोहालजलकर पंडितपुर थाना बड़हलगंज गोरखपुर, श्यामकरन यादव S/O राजनाथ यादव निवासी लखनौरी थाना बड़हलगंज गोरखपुर, राकेश साहनी S/O राजकरन साहनी निवासी बेलौली सोनबरसा थाना दोहरीघाट जनपद मऊ के कब्जे से 09 पासपोर्ट आवेदन पत्रों को बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 250/24 धारा 340 ,338 ,(3)336 ,(2)319 ,(4)318 ,(2)61 ,(5)3(2) व भारतीय पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा (3)12 का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

अभियोग का विवरण–

1. मु0अ0सं0 250/24 धारा (2)340 ,338 ,(3)336 ,(2)319 ,(4)318 ,(2)61 ,(5)3 बीएनएस व धारा (3)12भारतीय पासपोर्ट अधिनियम 1967 थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण–

1. श्यामबहादुर यादव S/O सुरेन्द्र यादव R/O मोहाजलकर पंडितपुर थाना बड़हलगंज गोरखपुर।
2. श्यामकरन यादव S/O राजनाथ यादव R/O लखनौरी थाना बड़हलगंज गोरखपुर।
3. राकेश साहनी S/O राजकरन साहनी R/O बेलौली सोनबरसा थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।

बरामदगी का विवरण–

1. 09 अदद फर्जी पासपोर्ट के कूटरचित प्रपत्र व सम्बन्धित अभिलेखिय प्रपत्र।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम–

1. प्रभारी निरीक्षक श्री प्रमेन्द्र कुमार सिंह थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।
2. उ0नि0 महादेव गुप्ता थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।

3. SIUT अमित सिंह थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।
4. हे0का0 राजबहादुर थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।
5. का0 कृष्णा यादव थाना दोहरीघाट जनपद मऊ ।
6. का0 आनन्द कुमार थाना दोहरीघाट जनपद मऊ ।
7. हे0का0 पारसनाथ यादव थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।
8. का0मु0 आकाश ठाकुर थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।
9. का0मु0 अखिलेश गौतम थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।

एक शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का एक अदद ईलाख 02 कीमत करीब) रिक्शा-(रूपये बरामद–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान क्रम में व अपर पुलिस अधीक्षक श्री महेश सिंह अत्रि के पर्वेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी नगर श्री अंजनी कुमार पाण्डेय के के कुशल नेतृत्व में थाना दक्षिणटोला पुलिस द्वारा आज दिनांक 25.12.2024 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर रामपुर चकिया फ्लाई ओवर के पास मु0अ0सं0188 / 0एस0एन0बी 303 धारा 2024में प्रकाश में आये अभियुक्त मोहम्मद अंसारी पुत्र निजामुद्दीन निवासी मदनपुरा थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ के कब्जे से चोरी की एक अदद ई-रिक्शा बरामद कर गिरफ्तार किया गया । कड़ाई से पुछताछ में बताया किं यह ईरिक्शा उसने चन्दन पैलेस दसई पोखरा के बाहर से चोरी किया था तथा पकड़े जाने की डर -से नम्बर प्लेट बदल दिया था तथा बेचने के लिए लेकर जा रहे थे । उक्त अभियोग में धारा 317(2)/317(4)/317(5)/338/336(3)/340(2) बी0एस0एन0 बढोत्तरी कर चालान न्यायालय किया गया ।

अभियुक्त का विवरण–

1. मोहम्मद अंसारी पुत्र निजामुद्दीन सा मदनपुरा थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ 0।

बरामदगी–

1. एक अदद चोरी का ई रिक्शा-

पंजीकृत अभियोग–

1. मु/188 0सं0अ02024 धारा 303/317(2)/317(4)/317(5)/338/336(3)/340(2) बी 0एस0एन0 थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1 .उ संदीप चन्दन थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ 0नि0

2 .उ0नि0 राजकमल थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ

3 .उरामाझ्रा कुमार थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ 0नि0

4 .हे जगदीश यादव 0का0थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ

5 .का बृन्द कुमार 0थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ

6 .का गुरमीत सिंह 0थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ

7 .का मित्रसेन यादव 0थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ

आपराधिक इतिहास–

मोहम्मद अंसारी पुत्र निजामुद्दीन सामदनपुरा थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ 0।

1. मु0092 0सं0अ0/379 धारा 2022/भादवि थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ 411।
2. मु188 0सं0अ0/303 धारा 2024/317(2)/317(4)/317(5)/338/336(3) /340(2) बी 0एस0एन0 थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ।

यूपीआई के माध्यम से अन्जान व्यक्ति के खाते मे गलती से भेजे गये कुल धनराशि 20,000 रुपये थाना सरायलखन्सी साइबर पुलिस टीम द्वारा वापस कराया गया–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में साइबर अपराध के माध्यम से आंनलाइन ठगी गयी धनराशि वापस दिलाने व साइबर अपराध पर प्रभावी कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में थाना सरायलखन्सी साइबर पुलिस टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुए यूपीआई के माध्यम से अन्जान व्यक्ति के खाते मे गलती से भेजे गये, पीडित ज्योति भारती पुत्री गुलाब चन्द्र राम निवासी पिपरीडीह थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ के कुल धनराशि 20,000 रुपये की सम्पूर्ण धनराशि अथक परिश्रम कर उनके खाते में वापस कराया गया। आवेदक द्वारा उच्चाधिकारियों व थाना सरायलखन्सी के अधिकारी/ कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया । साइबर अपराध किसी के साथ और किसी भी प्रकार से घटित हो सकता है। बस जागरुक रहकर ही साइबर से बचा जा सकता है। बरामदकर्ता पुलिस टीम–

प्रभारी निरीक्षक श्री राजकुमार सिंह थाना सरायलखन्सी, निरिक्षक अपराध श्री हरेन्द्र सिंह, उ0नि0 धर्मेन्द्र कुमार शुक्ला, का0आ0 नितेश तिवारी, म0आ0 शिखा तिवारी थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ ।

दुष्कर्म मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

आज दिनांक 25.12.2024 को थाना सरायलखन्सी पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर ताजोपुर मोड़ के पास से मु0अ0सं0 556/24 धारा 137(2),87,65(1),3/4(2) पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त सकलराजभर उर्फ सकलदीप उर्फ बजरंजी पुत्र विरेन्द्र राजभर निवासी ताजोपुर थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।